

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

सोमवार, 19 मई, 1997 / बैशाख 29, 1919 §शक§

संख्या : 328

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, मध्य जिला, दिल्ली का दिनांक 13.5.97 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री वासुदेव कप्तान को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 13.5.97 को अपराहन 1.35 बजे लिंग रोड चैम्बरो, करौल बाग, दिल्ली से नज़रबंद किया गया तथा उन्हें वहीं पर अपराहन 1.45 बजे रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, 19th May, 1997 / Baishakha 29, 1919 (Saka)

No. 328

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 13.05.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police, Central District, Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Vasdev Kaptan, Member of Legislative Assembly Delhi was detained u/s 65 D.P. Act on 13.5.1997 at 1.35 P.M. for not obeying the lawful direction of Police Officer at Link Road Chambery, Karol Bagh, Delhi. He was subsequently released at 1.45 P.M. on the spot."

P.N. GUPTA
SECRETARY